

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे संविधा हो।



ग्राम : यूनीवरिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक-एफ/महा.वि.प./2011/ 3578

दिनांक: 30/07/11

// अधिसूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध अशासकीय महाविद्यालयों की शासी निकाय की समितियों में परिनियम 28(भाग-3) की धारा 6(1)(सी) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19 मई, 2011 के पद क्रमांक (30) के (अ-अ-12) पर लिये गये निर्णयानुसार शासी निकाय में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि मनोनीत किये जाते हैं :-

महाविद्यालय का नाम : एच.आई.सी.टी. महाविद्यालय, अद्भुत, झाँसी रोड, ग्वालियर

मनोनीत सदस्य : 1. डॉ. मीना श्रीवास्तव, शासकीय महाविद्यालय, मिहोना

2. डॉ. पुष्पा बकुर, विधि विभाग, शासकीय महाविद्यालय, अशोकनगर

उपरोक्त सदस्यता दो वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।

अधिकारी
महाविद्यालयीन विकास परिषद

प्रतिलिपि:-

- सम्बन्धित प्रतिनिधियों की ओर सूचनार्थ।
- प्राचार्य, एच.आई.सी.टी. महाविद्यालय, अद्भुत, झाँसी रोड, ग्वालियर की ओर भेजकर तत्काल प्रभाव से शासी निकाय में मनोनीत सदस्यों को सूचित करते हुये पत्र प्राप्त होने के एक माह की अवधि में प्रथम शासी निकाय की बैठक बुलाई जावे। इस तरह कम से कम एक वर्ष में तीन बार शासी निकाय की बैठक होना अनिवार्य है तथा बैठक होने के तुरन्त बाद पूर्ण विवरण एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करें तथा साथ में आपको यह भी सूचित किया जाता है कि मनोनीत सदस्यों को कॉलेज कोड 28 शिक्षण संस्थान अधिनियम 1978 तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्गदर्शिका प्रथम बैठक के पूर्व में प्रदान करें।

शासी निकाय की बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों का ठी.ए./डी.ए. महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

अधिकारी
महाविद्यालयीन विकास परिषद

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पांच व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से सी किया जावे न
कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बद्धित विषय पर यदि पूर्ण में पत्र
व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक
अवधि लिखा जावे जिससे सावेदा हो।



ग्राम : गूजीवरिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ ५२।।

दिनांक: १५।।१२।।

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध एच.आई.सी.टी. महाविद्यालय ग्राम-अद्भुता, झांसी रोड, ग्वालियर (07525-272423) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.बी.ए., बी.सी.ए., बी.एस-सी. प्लेब/अटि.वि. बायोटेक, पाठ्यक्रम/कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये मानवीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है:-

- (1) प्रो. ए.पी.एस. चौहान, आचार्य, राजनीति विज्ञान अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर। (संयोजक)
(0751-2442836)
- (2) डॉ. के.एस. गुर्जर, आचार्य, शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।
- (3) डॉ. बी.एल. यादव, आचार्य, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर।
- (4) डॉ. एस.डी. सिसौरिया, उपाचार्य, पुरातत्व अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।


निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वाइचित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/शुगापति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्डिनेस तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की विद्युक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से समर्पक स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से विवेदन है कि वे उक्त विधारित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देरी के लिए गहाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण बहारी करता है तो समिति रवत: विस्तृत हो जावेगी और पुरुष निरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात ही निरीक्षण समिति का पुरुषगठन किया जावेगा। परिनियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए विभा छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक प्रतावली लेकर जावेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को ठी.ए. / डी.ए. / मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

प्रतिलिपि :-

- समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय के निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
- आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
- कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
- कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर


कुलसचिव


सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समक्ष पत्र व्यवहार कुनैविष्व जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम हो ही किया जावे न
कि किसी अब्द पदार्पणकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्ण में पत्र
व्यवहार कुंआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक
अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



मान : जूलीवर्टिती
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(विकालार)
2442462 (विकाल)
फैक्स : (091-0751-2341768
E-mail : jureg_gwl@rediffmail.com
Website : http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बन्धता/2011/ 4679

दिनांक : 21/03/12

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 09 फरवरी 2012 के पद क्रमांक (02) के विषयाबुसार एवं आई.सी.टी. महाविद्यालय, ग्राम - अद्धपुरा, झांसी रोड, ग्वालियर को सत्र 2010-11 के लिये प्रस्तावित संचालित बी.बी.ए. तृतीय वर्ष, बी.सी.ए. तृतीय वर्ष, बी.एस.सी. तृतीय प्लेन (आर्थिक-विषय-बायोटेक), पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बन्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

शर्तें/प्रतिबंध :-

1. प्राचार्य शिक्षकों लाइब्रेरियन स्पोर्ट आफीसर की वियुक्ति 2 माह के भीतर कर विश्वविद्यालय को सूचित करें।
2. प्रयोगशाला को रु. 1 लाख के उपकरण क्रय कर समृद्धित करें।
3. ग्वालियर में प्रत्येक विषय की 25 मालक पुस्तकें क्रय करें।
4. शिक्षकों को वेतन चैक/बैंक के माध्यम से करें।
5. संबंधित भवन से एज्यूकेशन के पाठ्यक्रम अलग करें।

आदेशाबुसार

3
म
ब
कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, एच.आई.सी.टी. महाविद्यालय, ग्राम - अद्धपुरा, झांसी रोड, ग्वालियर।
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुडा भवन, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल पाटिसर, ग्वालियर।
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहा. कुलसचिव (सम्बन्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

गमत पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के बाम ही ती विषय जारी न
कि किसी अल्प पदाधिकारी को जाम हो।
संबोधित विषय पर यदि एक में पत्र
व्यवहार कुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक
अवश्य लिखा जावे जिससे सीधिया हो।



प्राप्त : दूषीकरण
दूषणात्र : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ 4743

दिनांक: 10/04/12

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध एच.आई.सी.टी. नर्सिंग महाविद्यालय, ग्वालियर (07525-272423) को सत्र 2010-11 के लिये बी.एस.-सी. नर्सिंग प्रथम वर्ष एवं सत्र 2011-12 के लिये बी.एस.-सी. नर्सिंग द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसारे प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

(1) प्रो. बाय.के. जैसवाल, आचार्य, जैव रसायन अध्ययनशाला, जी.वि.पि., ग्वालियर।

(संयोजक)

(0751-2442793)

(2) प्रो. रेणुका दास, प्राचार्य, कॉलेज ऑफ नर्सिंग जन विकास व्यापार केन्सर पहाड़िया, ग्वालियर।

(3) डॉ. अनुराग चौहान, आचार्य, जी.आर.एम.सी., ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आईजेन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति स्थायी प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से विवेदन है कि वे उक्त नियुक्ति समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

"समिति गठन का पत्र प्राप्त होवे के बाद निरीक्षण में की गई दैरी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण नहीं करता है तो समिति स्वतः निरीक्षण कर दें और उक्त निरीक्षण लिये गए गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड रुपय रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही निरीक्षण समिति का पुर्वजञ्जलि किया जावेगा। परिनियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए विवा छात्रों को प्रवेश देवा अवैधानिक है।"

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाला में कार्यालय अधीक्षक / कार्यालय सहायक प्रावली लेकर जारेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुताविति से निरीक्षण लिये गए अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / टी.ए. / मानदेश महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

3 मार्च 13
कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यगाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक लिघार्हित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सत्पुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

Raj
उप कुलसचिव (सम्बद्धता)